न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 04/2019

चैनाराम उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री सूरजमल, जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम मेहाड़ा गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम चैनाराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 09/2019 निर्णय दिनांक 26.01.2019

उपस्थितिः–

1 .श्री अशोक महला, एडवोकेट ––––– ––––– ––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 26.7.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.01.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम चैनाराम मु0नं0 09/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–अदालत मातहत ने अपीलांट को जमीन खसरा नंबर 803 सरहद मौजा नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी में 16 वर्ग मीट भूमि पर अतिक्रमी होना मानकर बेदखल करने व 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । पारित निर्णय स्पीकिंग नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने में गलती की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को सही नहीं मानकर गलती कानूनी की है। विवादित जगह पर अपीलांट का पुराना कब्जा पूर्वजों के समय से है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब नोटिस में दर्ज तथ्यों की बिना जांच किये निर्णय जैर बहसपारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

दिनांक 25.01.2019 को अपास्त किया जावेतथा अपीलांट के हक में कब्जे की जमीन का नियमन किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । पारित निर्णय स्पीकिंग नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने में गलती की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को सही नहीं मानकर गलती कानूनी की है। विवादित जगह पर अपीलांट का पुराना कब्जा पूर्वजों के समय से है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब नोटिस में दर्ज तथ्यों की बिना जांच किये निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं है । अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2019 को अपास्त किया जावे तथा अपीलांट के हक में कब्जे की जमीन का नियमन किये जाने का आदेश दिया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा खसरा नंबर 803 रकबा 16 वर्ग मीटर पक्के दुकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि विवादित जगह पर अपीलांट का पुराना पूर्वजों के समय से कब्जा है। विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं है । अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। इस संबंध में पत्रावली पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिनमें नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 का नोटिस, तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस दिनांक 02.05.81, नोटिस नायब तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 07.07.1981, नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस दिनांक 11.7. 1978, हल्का पटवारी द्वारा मेवाड़ा गुजरवास द्वारा उप जिलाधीश को विवादित भूमि के संबंध में लिखा गया पत्र दिनांक 05.7.1974 एवं अन्य दस्तावेजात से यह साबित है कि विवादित भूमि पर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

अपीलांट का काफी वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 बणी है जो प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 2019 में इन दस्तावेजात के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी है। अपीलांट का प्रकरण पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य क्यों नहीं है, इस संबंध में भी निर्णय दिनांक 25.01.2019 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में अपने निर्णय में कोई व्याख्या नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित उक्त निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2019 उनवानी सरकार बनाम चैनाराम मु0नं0 09/2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि के वादग्रस्त स्थल का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्यनजर पूर्ण विवेचना करते हुये अगर प्रकरण नियमन योग्य है तो नियमन की कार्यवाही की जावे एवं विधिक प्रकिया के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 26.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू